तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स /एल.आर/3757/2005/पाली** **राजस्थान सरकार बनाम मिसरू**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ

श्री भवानी सिंह पालावत, सदस्य

उपस्थित :

श्री जानी सिंह, उप राजकीय अधिवक्ता।

अधिवक्ता अप्रार्थी व अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित।

——

आदेश

दिनांकः— 22.05.2026

यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत न्यायालय अति0 जिला कलक्टर, पाली ने अपने निर्णय एवं अभिशंषा दिनांक 02.07.2005 द्वारा मंडल को प्रेषित किया है।

रेफरेन्स प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि तहसीलदार, जैतारण ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय अति0 जिला कलक्टर, पाली के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम मांगलिया तहसील जैतारण में स्थित खसरा संख्या 72, 72/1 रकबा 47 बीघा 4 बिस्वा भूमि मिसल हकियत में डोली बनाम मंदिर श्रीमलजी वाकै देह बएतमाम पुजारी गंगाविशन के नाम दर्ज थी जिसका हस्तांतरण जरिए नामांतकरण संख्या 64 के अप्रार्थी के नाम करवा दिया, इस प्रकार भूमि का जो हस्तांतरण हुआ है, वह अवैध है। चूंकि ऐसी आराजी शाश्वत नाबालिग होती है। इस प्रकार मंदिर मूर्ति की भूमि का नियम विपरीत हस्तांतरण हुआ है, जिसे हटा कर वापिस खातेदारी मंदिर मूर्ति के नाम दर्ज करने का आदेश प्रदान करें। न्यायालय अति0 जिला कलक्टर, पाली ने अपने निर्णय दिनांक 02.07.2005 को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर हस्तगत रेफरेंस प्रकरण माननीय मण्डल को प्रेषित किया है।

विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस रेफरेंस प्रार्थना पत्र पर सुनी गई ।

विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने बहस करते हुये अभिकथन किया कि मिसल बंदोबस्त् संवत् 2011 से 2030 में उपरोक्त वर्णित भूमि डोली बनाम मंदिर श्री मलजी वाकै मौजा लाम्बिया बएतमाम पुजारी गंगाविशन वल्द जैकिशन कौम ब्राह्मण साकिन लाम्बिया खुदकाश्त दर्ज थी तथा संवत् 2018–21 में भी उक्त भूमि मंदिर मूर्ति के नाम ही दर्ज थी, लेकिन संवत् 2021–24 की जमाबंदी तैयार करते समय उक्त भूमि बिना किसी स्वीकृति अथवा आदेश के जमाबंदी में बिना किसी नामांतकरण के पुजारी के नाम खातेदारी में दर्ज कर दी गई तथा पुजारियों ने उक्त भूमि

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स /एल.आर/3757/2005/पाली** **राजस्थान सरकार बनाम मिसरू**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अप्रार्थीगण को बैचान कर दिए जाने से नामांतकरण संख्या 64 से हस्तांतरण हो गई। चूंकि उक्त हस्तांतरण विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है। काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 45 (4) व 46(1) में मंदिर मूर्ति को शाश्वत नाबालिग माना गया है। नाबालिग के हितों की रक्षा करना सरकार का दायित्व है। विपक्षीगण के खाते में नियमों के विरूद्ध मंदिर मूर्ति की भूमि को दर्ज किया गया है। मंदिर मूर्ति एक शाश्वत नाबालिग है, इसकी खातेदारी की भूमि अन्य के नाम नहीं हो सकती है। मंदिर मूर्ति को शाश्वत नाबालिग माना गया है और उसकी भूमि पर पुजारी या किसी भी अन्य व्यक्ति को काश्त करने से कोई स्वत्व व अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं और यदि इस प्रकार के अधिकार किसी व्यक्ति को प्राप्त हो भी गए है तो वह राज0काश्त0अधि0 1955 की धारा 46 के प्रावधानों के विपरीत है तथा प्रारंभ से ही प्रभाव शून्य है। अतः रेफरेंस स्वीकार किया जाकर भूमि को अप्रार्थीगण की निजी खातेदारी से हटा कर पुनः मूर्ति मंदिर के खाते में दर्ज किए जाने के आदेश प्रदान करावें। हमनें विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया और अतिरिक्त जिला कलेक्टर की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात व निर्णय का आद्योपान्त अवलोकन व अध्ययन किया गया। प्रश्नगत प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम मांगलिया तहसील जैतारण की मिसल बंदोबस्त् संवत् 2011 से 2030 के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम मांगलिया तहसील जैतारण में स्थित आराजी खसरा संख्या 72, 72/1 रकबा 47 बीघा 4 बिस्वा भूमि मिसल बंदोबस्त् संवत् 2011–2030 में डोली बनाम मंदिर श्रीमलजी वाकै मौजा लाम्बिया बएतमाम पुजारी गंगाविशन वल्द जैकिशन कौम ब्राह्मण साकिन लाम्बिया खुदकाश्त दर्ज थी तथा जमाबंदी संवत् 2018–21 में भी उक्त भूमि मंदिर मूर्ति के नाम ही दर्ज थी, लेकिन जमाबंदी संवत् 2021–24 की जमाबंदी तैयार करते समय उक्त भूमि बिना किसी स्वीकृति अथवा आदेश के जमाबंदी में बिना किसी नामांतकरण के पुजारी गंगाविशन के नाम खातेदारी में दर्ज कर दी गई तथा भूमि पुजारी के नाम खातेदारी में दर्ज हो जाने से तत्कालीन पुजारी ने भूमि को अप्रार्थीगण को बैचान कर दिए जाने से नामांतकरण संख्या 64 दिनांक 28.05.75 को अप्रार्थीगण के नाम हस्तांतरण हो गई, उक्त हस्तांतरण विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्तनीय योग्य है। इस प्रकार भूमि का जो हस्तांतरण हुआ है, वह अवैध है। भू–प्रबंध विभाग को इस प्रकार का परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं था। चूंकि राजस्व जमाबंदी अभिलेख संवत् 2011–30 अनुसार विवादग्रस्त आराजी का डोली बनाम मंदिर श्रीमल जी की खातेदारी में दर्ज होना स्पष्ट है, ऐसी आराजी को निजी व्यक्तियों	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स /एल.आर/3757/2005/पाली** **राजस्थान सरकार बनाम मिसरू**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	की खातेदारी में अभिलिखित नहीं किया जा सकता है क्योंकि मंदिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग (Perpetual Minor) होती है तथा शाश्वत नाबालिग के हितों की रक्षा करना न्यायालय का दायित्व है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 45 (4) व 46 ए के प्रावधानों के अनुसार नाबालिग की भूमि पर किसी भी व्यक्ति को चाहे वह पुजारी हो या अन्य व्यक्ति हो, खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है क्योंकि मंदिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग है । नाबालिग स्वंय काश्त करने में असमर्थ है, अतः उसके द्वारा अन्य व्यक्तियों को आराजी काश्त पर दी जा सकती है और यदि मंदिर मूर्ति की भूमि पर किसी अन्य को अधिकार किसी प्रकार से प्राप्त हो गये है तो वह प्रभाव शून्य माने जावेगें । अतः हस्तगत रेफरेंस स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि बाबत् अप्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज खातेदारी निरस्त किये जाने योग्य तथा विवादित भूमि पुनः मंदिर मूर्ति की खातेदारी में दर्ज किया जाना उचित एवं विधिसम्मत् प्रतीत होता है। परिणामस्वरूप न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली द्वारा अपने निर्णय एवं अभिशंषा दिनांक 02.07.2005 के क्रम में मण्डल के समक्ष प्रस्तुत यह रेफरेंस स्वीकार किया जाकर ग्राम मांगलिया तहसील जैतारण की आराजी खसरा संख्या 72, 72/1 रकबा 47 बीघा 4 बिस्वा जो डोली बनाम मंदिर श्रीमलजी वाकै देह बएहतमाम पुजारी गंगाविशन की खातेदारी में दर्ज थी, का आवंटन/ पर अप्रार्थीगण को दी गई खातेदारी तथा तत्पश्चात् किया गया हस्तांतरण तथा स्वीकृत नामांतकरण संख्या 64 को निरस्त किया जाता है तथा उक्त भूमि को पुनः मंदिर मूर्ति की खातेदारी में दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो कर नंबर से कम हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया । **(भवानी सिंह पालावत)** **सदस्य**	